राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(10)एमई / ग्रुप–1 / 2013 जयपुर, दिनांक : 13 DEC 2018

आदेश

डॉ. शरद जैन, आचार्य, जनरल सर्जरी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 190 / 2013 अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(डी) एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में दण्डनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर कार्मिक (क–3 / शिकायत) विभाग के आदेश क्रमांक प.2(2)(45)का. / क–3 / शिका. / 2013 दिनांक 28.05.2013 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया था।

डॉ. जैन डायनेमिक एस्योर्ड केरियर प्रोग्रेशन (डी.ए.सी.पी.) स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2013 को वरिष्ठ आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता रखते थे। जनरल सर्जरी विशिष्ठता के चिकित्सक शिक्षकों की डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 21.9.2015 को आयोजित की गई थी। बैठक आयोजन के समय डॉ. जैन के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रकरण अपराध संख्या 190 / 2013 में निलम्बित रहने के कारण डी.ए.सी.पी. स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा उनका पदोन्नति संबंधी परिणाम सीलबन्द लिफाफे में रखने की अनुशंषा की गई।

कार्मिक (क–3 / शिकायत) विभाग के आदेश क्रमांक प.2(2)(45)का / क–3 / शिका / 13 दिनांक 08.12.2016 के द्वारा डॉ. जैन को उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय में लम्बित प्रकरणों के निर्णय के अध्यधीन निलम्बन से बहाल किया गया। उक्त निलम्बन से बहाली के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(48)एम.ई / ग्रुप–1 / 97 दिनांक 30.01.2017 के द्वारा डॉ. जैन का पदस्थापन आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में किया गया।

निलम्बन से बहाली एवं पदस्थापन उपरान्त डॉ. जैन का डी.ए.सी.पी. अन्तर्गत पदोन्नति संबंधी सीलबन्द लिफाफा नियमानुसार खोला गया क्योंकि डॉ. जैन दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में निलम्बित नहीं थे और न ही इनके विरूद्ध कोई विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित थी।

क्रमशः– 2

डी.ए.सी.पी. स्क्रिनिंग कमेटी की अनुशंषा अनुसार डॉ. शरद जैन, आचार्य जनरल सर्जरी को डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत दिनांक 01.4.2013 (वर्ष 2013–14) से वरिष्ठ आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पर डॉ. जैन का पदस्थापन यथावत मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में किया जाता है।

आदेश से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
7. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव